न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :–अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या –186/2025
बनाम

प्रार्थीगण	विप्रार्थी
1. मीठा खान पुत्र सरीफ खान जाति मुसलमान निवासी उभरे का पार तहसील रामसर।	1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम

आदेश

दिनांक 19.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौज़ा उभरे का पार पटवार मण्डल गरड़िया तहसील रामसर के खसरा संख्या 422/169, 111, 174, 361/111, 253 आया है जिसनें प्रार्थी का नान अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा शेक्षणिक दस्तावेजों तथा अन्य खेतों की जमाबन्दीयों में मीठा खान पुत्र सरीफ खान जाति मुसलमान निवासी उभरे का पार तहसील रामसर दर्ज है लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम मिठु पुत्र फोटा अंकित कर दिया गया जिसे दुरस्त करने हेतु यह प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर करं किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा उभरे का पार पटवार मण्डल गरड़िया तहसील रामसर के खसरा संख्या 111, 174, 361/111, 253, 422/169 में प्रार्थी का नाम मिठु पुत्र फोटा के स्थान पर मीठा खान पुत्र सरीफ खान दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 19.05.2025

क्रमांक : रीडर/2025/ 683-90
प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी मीठा खान पुत्र सरीफ खान।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर जिला बाड़मेर